न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 296 / 2026
निर्मली थाना काण्ड संख्या– 14 / 2026

	1. बजरंगी दास उर्फ बजरंग कुमार दास, 2. सागर दास उर्फ राम सागर दास, 3. भोला दास उर्फ गंगा सागर दास..... आवेदकगण बनाम् बिहार सरकार..... विपक्षी	
17 / 04 / 26	प्रार्थी अभियुक्त बजरंगी दास उर्फ बजरंग कुमार दास, सागर दास उर्फ राम सागर दास, भोला दास उर्फ गंगा सागर दास की ओर से निर्मली थाना काण्ड सं0 14 / 2026 में अपनी गिरफतारी की आशंका दिखाते हुए अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ कुमार द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं एवं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण को गांव की गंदी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है तथा लगाया गया आरोप बनावटी व मनगढंत है। उभय पक्ष के बीच पूर्व से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है जिसको लेकर उभय पक्ष के बीच धारा 126 बी0एन0एस0एस0 की कार्यवाही चल रही है। प्रार्थीगण के द्वारा सूचक एवं उसके पिता को किसी भी तरह का जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज नही किया गया है और न ही मारपीट किया गया है तथा उनके विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने, सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री सत्य नारायण मेहता एवं सूचक के विरूद्ध अधिवक्ता श्री रामजी प्रसाद साह के द्वारा विरोध करते हुए प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन करते है। सूचक एवं उसके पिता सुनवाई के क्रम में न्यायालय में उपस्थित है। प्रस्तुत वाद सूचक कुणाल शेखर के आवेदन के आधार पर धारा 126(2), 115(2),303(2),352,351(2),351(3),3(5) BNS and 3(1)(r)(s) SC/ST Act के अंतर्गत निर्मली थाना काण्ड सं0 14 / 26 दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 22 / 01 / 26 को जमीन पर मिट्टी भराई का काम कर रहा था। इतने में लाठी, डंडा, लोले का रॉड लेकर अभियुक्त बजरंगी दास, सागर दास, भोला दास, शंकर दास एवं अन्य 15 अज्ञात पुरूष महिला एक नजायज मजमा बनाकर उसके पर आये। अभियुक्त बजरंगी दास उसे जाति सूचक शब्द दुसाध कहकर गाली गलौज करते हुए बोल कि जमीन पर मिट्टी भरवाना बंद करो अन्यथा जान से मार देंगे। इतने में अभियुक्त बजरंगी दास एवं अन्य सभी मिलकर सूचक को लाठी डंडा से मारपीट करने लगे तथा बजरंगी दास ने सूचक के गले से सोना का चेन कीमत करीब एक लाख तीस हजार का छीन लिया। हल्ला सुनकर सूचक के पिता उसे बचाने आये तो अभियुक्त भोला दास लोहे के रॉड से उसके पिता को बुरी तरह से मारपीट करने लगे तथा अज्ञात महिला एवं पुरूष भी उसके साथ मारपीट करने लगे। अभियुक्त शंकर दास जाति सूचक शब्द दुसाध कहकर गाली गलौज करने लगे तथा सागर दास सूचक के पिता के जेब से 25,000 / – निकाल लिया। उसके राहगीर लोग आये तो बीच बचाव किये। जाते समय अभियुक्त शंकर दास ने गाली गलौज देते हुए धमकी दिया कि मौका मिलेगा तो तुम्हें और तुम्हारे	लगातार.....

17/04/26 लगातार	पिता को गाली मार देंगे। सूचक अपने पिता का ईलाज अनुमंडलिय अस्पताल निर्मली में कराये। सुना व अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज करने लाठी, डंडा व लोहे के रॉड से मारपीट करने का आरोप है। सूचक ने अपने पुनः बयान (पैरा– 102) तथा अन्य साक्षियों ने अपने–अपने बयानों (पैरा– 11, 12, 15 व 16) में घटना का समर्थन किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में काण्ड को धारा 126(2), 115(2),303(2),352,351(2),351(3),3(5) BNS and 3(1)(r)(s) SC/ST Act के अंतर्गत सत्य पाया गया है (पैरा– 24)। सूचक एवं उसके पिता संजय कुमार के जख्म प्रतिवेदनों से भी घटना एवं प्राथमिकी का समर्थन होता है (पैरा– 34)। काण्ड दैनिकी की कंडिका 41 के अनुसार प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है परंतु अभिलेख एवं कांड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में प्रार्थी अभियुक्तगण बजरंगी दास उर्फ बजरंग कुमार दास, सागर दास उर्फ राम सागर दास, भोला दास उर्फ गंगा सागर दास को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ। तदनुसार प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से दाखिल **अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित ह0/– (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह– विशेष–न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल	